



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/P/20/00022

दिनांक : 14.01.2020

सेवा में,

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 02.01.2020, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 10.01.2020 को फाइल संख्या CICOM/R/P/20/00022 के तहत अपीलार्थी को सीधे सूचना प्रदान करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ। जिसका उत्तर बिन्दुअनुसार इस प्रकार है:-

हालाँकि कारण पूछा गया है RTI आवेदन में, जो कि section 2(f) of RTI Act 2005 से परे है। फिर भी Transpiracy की खातिर बताया जाता है कि उपरोक्त RTI आवेदन में आप 4 आवेदनों पर सूचना चाह रहे हैं परन्तु विवरण आपने केवल 3 आवेदनों का ही दिया है। अतः उन्ही तीन आवेदनों के बारे में सूचना इस प्रकार है :-

- (i) **डायरी संख्या 153092/2019 दिनांक 23.10.2019**, चूँकि आपने RTI आवेदन की प्रति जो कि CPIO के पास आपने लगाई थी को सलंगन नहीं किया था अतः आप की द्वितीय अपील को सुविधा जापन (153092/2019) दिनांक 06.11.2019 से आपको वापिस कर दिया गया ताकि इंकित कमी को दूर करके अपनी अपील को पुनः प्रस्तुत कर सकें। इस सुविधा जापन की प्रति आपने इस RTI आवेदन के साथ सलंगन कर रखी है।
- (ii) **डायरी संख्या 149776/2019 दिनांक 16.10.2019**, आयोग का सॉफ्टवेयर दर्शाता है कि डायरी संख्या 149776/2019 के तहत आपने जो द्वितीय अपील भेजी थी उसमें भी आपने CPIO के पास लगाई गई RTI Application की प्रति सलंगन नहीं की थी अतः वह द्वितीय अपील भी आपको सुविधा जापन (डायरी संख्या 149776/2019) दिनांक 16.10.2019 Speed Post Tracking No.ED341295585IN dated 14.11.2019 के तहत आपको लौटा दी गई थी ताकि आप उसमें दर्शायी गई कमियों पूरा करके पुनः प्रस्तुत कर सकें।
- (iii) **डायरी संख्या 19509 दिनांक 21.11.2019**, डायरी संख्या पर आपको विस्तृत जवाब पहले ही दिया जा चुका है एवं इस जवाब की प्रति भी आपने अपने इस RTI आवेदन के साथ सलंगन की है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक Rule 8 of RTI Rules 2012 में वर्णित समस्त दस्तावेजों की स्वच्छ, स्व-हस्ताक्षरित प्रति कमीशन में उपलब्ध नहीं करवाई जाती तब तक उस अपील/कम्प्लेंट को RTI Act-2005 एवं उसके तहत बने RTI Rules 2012 में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। तथा समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अपीलार्थी की ही होती है।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता इस प्रकार है :- प्रथम अपीलीय अधिकारी, कमरा न .502, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067। उनका दूरभाष न .011-26162290 है।

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप सचिव/सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

दूरभाष न. - 011-26186536

प्रतिलिपि: केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
15/6/20

CICOM/के.सू.आ.	
RECEIVED	
15 JAN 2020	
D. No.....	
Initials.....	Prigarty

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप सचिव/सी पी आई ओ